राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(523)परि/नियम/मु/2014/ 61361 जयपुर,दिनांकः– 17.11.2014

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
....(समस्त)।

कार्यालय आदेश.....35/2014

ई–रिक्शा/ई गाड़ी के पंजीयन के संबंध में दिशा–निर्देश

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.2590(अ) दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा सुरक्षा मानको के लिए ई–रिक्शा/गाड़ी के सत्यापन एवं अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 709(अ) द्वारा ई–रिक्शा/गाड़ी के पंजीयन के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किए गए है। इसके साथ ही चालक लाईसेंस में भी ई–रिक्शा/गाड़ी हेतु पृथक से श्रेणी जोडी गयी है अर्थात् ई–रिक्शा/गाड़ी चालकों को उक्त श्रेणी का लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा जो कि तीन वर्ष की अवधि या पूर्व में जारी किसी परिवहन लाईसेंस की वैधता तक जो भी पहले हो, तक के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। उक्त अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर 2014 तक अस्तित्व में आ चुके समस्त ई–रिक्शा/गाड़ी की विस्तृत सूचना स्वामी के नाम गाडी का मॉडल आदि की सूची रजिस्टर्ड ई–रिक्शा/गाडी संघ के माध्यम से विभाग को दिनांक 30.11.2014 तक उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त सूची में से प्रत्येक मॉडल के एक–एक ई–रिक्शा/गाड़ी का, रजिस्टर्ड ई–रिक्शा संघ द्वारा चयन किया जाकर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में वर्णित परीक्षण संस्थानों में से किसी एक संस्था में परीक्षण कराया जायेगा। ई–रिक्शा/गाडी का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि वह सूचीबद्ध मॉडल्स का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके। परीक्षण संस्था उक्त मॉडल्स एवं निर्धारित फीस प्राप्त करने के पश्चात् परीक्षण कर रिपोर्ट जारी करेगा। परीक्षण में सही पाये जाने वाले ई–रिक्शा/गाड़ी का ही विभाग द्वारा परीक्षण रिपोर्ट से मिलान कर पंजीकरण किया जावेगा। दिनांक 30.11.2014 तक उपलब्ध करायी सूची के अतिरिक्त संचालित रिक्शाओं का पंजीयन नहीं किया जाकर जुगाड़ की श्रेणी में मानते हुए नियमानुकूल कार्यवाही की जावें।

अतः उक्त अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड ई–रिक्शा संघ के माध्यम से दिनांक 30.11.2014 तक संबंधित सूचना प्राप्त करने तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही पश्चात ई–रिक्शा/गाडी के पंजीयन व लाईसेंस जारी करने के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करें। इस प्रकार दिनांक 30.11.2014 तक प्राप्त की गयी सूची आगामी 3 दिवस में मुख्यालय की प्रोटोटाइप शाखा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 7(523)परि/नियम/मु/2014/61362-366 जयपुर,दिनांकः– 17/11/2014

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. मुख्यालय अधिकारीगण..(समस्त)।
3. अपर परिवहन आयुक्त, जोन...(समस्त)।
4. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)